

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्तुति पर अभिज्ञात जनपदों में क्षेत्र विस्तार और सतत रूप से उत्पादकता वर्द्धन से धान व गेहूँ के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उर्वरता एवं उर्वरता पुनर्स्थापित करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरुआत की गयी है।

कार्यनीति

उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मिशन की कार्य नीतियां निम्नलिखित हैं-

- विभिन्न स्तरों पर सभी पणधारियों की सक्रिय कार्यशीलता के माध्यम से मिशन मोड़ में कार्यान्वयन।
- किसानों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ उन्नत प्रौद्योगिकी अर्थात बीज, समेकित पोषण, प्रबन्धन के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों मृदा सुधारकों, आई0पी0एम0 और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी विस्तार और संवर्द्धन करना।
- प्रस्तावित विभिन्न हस्तक्षेपों को जिला योजना के साथ समेकित करे चिन्हित जिलों के लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रभावी मूल्यांकन हेतु सतत अनुश्रवण एवं समवर्ती मूल्यांकन।

सामान्य परिचय

- प्रदेश में कुल 7.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है। चावल एवं गेहूँ राज्य की मुख्य फसलें हैं।
- प्रदेश में चावल की औसत उत्पादकता 18 से 20 कुंतल प्रति हैक्टेयर है। इसके अंतर्गत लगभग 2.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आता है। चावल का उत्पादन असिंचित एवं सिंचित दोनों दशाओं में किया जा रहा है। जनपदवार चावल की उत्पादकता में काफी भिन्नता है। प्रदेश में अधिक उपजदायी बीजों/हाइब्रिड बीजों, पौध एवं मृदा प्रबंधन की अनुकूलतम तकनीकों के प्रयोग से उत्पादकता का स्तर बढ़ाने की संभावनायें उपलब्ध हैं।
- गेहूँ राज्य की दूसरी मुख्य फसल है। इसके अंतर्गत लगभग 3.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आता है। गेहूँ के कुल क्षेत्र का 54 प्रतिशत पर्वतीय प्रभाग के अंतर्गत आता है, किन्तु असिंचित क्षेत्र की बहुलता होने के कारण कुल उत्पादन का 33 प्रतिशत ही पर्वतीय प्रभाग से प्राप्त होता है। प्रदेश में गेहूँ की औसत उत्पादकता 23 कुंतल प्रति हैक्टेयर है। विभिन्न जनपदों के मध्य औसत उत्पादकता में काफी भिन्नता है। अल्मोडा, बागेश्वर एवं चंपावत में जहाँ 13 कुंतल प्रति हैक्टर की

औसत उत्पादकता प्राप्त हुयी है। वहीं दूसरी ओर टिहरी, रुद्रप्रयाग में 16 कुंतल प्रति हैक्टेयर तथा देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में 25 कुंतल प्रति हैक्टेयर की औसत उत्पादकता प्राप्त हुयी है। अतः यह स्पष्ट है कि निवेशों एवं तकनीकों के समुचित प्रबन्धन से गेहूँ की उत्पादकता बढ़ाये जाने की काफी अधिक संभावनायें हैं।

- प्रदेश के अंतर्गत चावल एवं गेहूँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल एवं गेहूँ की कार्य योजना को अनुमोदित किया गया है।

उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के निम्नांकित उद्देश्य सुनिश्चित किये गये हैं—

- ✓ चिन्हित जनपदों में क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों को चलाकर चावल एवं गेहूँ की कुल उत्पादन में वृद्धि करना।
- ✓ व्यक्तिगत रूप से कृषि प्रक्षेत्रों पर मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना।
- ✓ कृषि एवं रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना एवं
- ✓ कृषि प्रक्षेत्रों में आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।

योजना की विशेषता

- योजना 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित है।
- योजना को उत्तराखण्ड में वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू किया गया है।
- एन0एफ0एस0एम0— चावल के अंतर्गत 5 जनपद —**पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंहनगर** का चयन किया गया है। गाइडलाइन्स के आधार पर उन्हीं जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ चावल का क्षेत्रफल 15 हजार हैक्टेयर से अधिक तथा राज्य की औसत उत्पादकता के 150 प्रतिशत से कम है।
- एन0एफ0एस0एम0— गेहूँ के अंतर्गत उन जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ गेहूँ का क्षेत्रफल 15 हजार हैक्टेयर से अधिक तथा जिले की उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता के 150 प्रतिशत से कम है। इसके अंतर्गत जनपद **देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं उधमसिंहनगर** चयनित किये गये हैं।
- प्रदेश में मिशन के कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रदेश स्तर पर स्टेट फूड सिक्योरिटी मिशन —एकजीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।
- जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन—एकजीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

- वर्ष 2013-14 के लिये भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के सापेक्ष चावल के लिये रु0 1431.00 लाख तथा गेहूँ के लिये रु0 938.25 लाख की कार्य योजना अनुमोदित हुयी है।

प्रस्तावित लक्ष्य

- ❖ प्रदेश में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में चावल के अंतर्गत 6.50 लाख मै0टन तथा गेहूँ के अंतर्गत 10.00 लाख मै0टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तथा जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुये चावल एवं गेहूँ में मांग के सापेक्ष 2.35 लाख मै0टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के घटक

- **क्लस्टर डिमान्स्ट्रेशन**— क्लस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 हैक्टेयर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 हैक्टेयर के क्लस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित क्लस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल के लिये रु0 7500 प्रति हैक्टेयर की दर से तथा गेहूँ के लिये रु0 5000 प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
- **बीज वितरण**— किसानों को धान एवं गेहूँ के उन्नत प्रजाति के बीजों (10 वर्ष से कम अवधि) पर रु0 500 प्रति कुंतल का अनुदान अनुमन्य है।
- **सूक्ष्म तत्व वितरण**— किसानों को सूक्ष्म तत्वों के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु0 500 प्रति हैक्टेयर जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।
- **पौध सुरक्षा कार्यक्रम**— पौध सुरक्षा में उपयोग में आने वाले सभी प्रकार के रसायनों/जैव रसायनों के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु0 500 प्रति हैक्टेयर जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।
- **कृषि रक्षा यंत्र वितरण**— धान एवं गेहूँ की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक्-पृथक् यंत्रों के लिये सुनिश्चित है। किसानों के लिये अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**— 30 किसानों के एक समूह के लिये 4 एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन की व्यवस्था की गयी है। पहला प्रशिक्षण खरीफ बुआई से पूर्व दूसरा खरीफ के दौरान तीसरा रबी के दौरान तथा चौथा प्रशिक्षण रबी उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा। एक दिवसीय प्रशिक्षण पर रु0 3500 का व्यय अनुमन्य है।
- **वाटर हार्वेस्टिंग**— योजना के अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यक्रम को विशेष रूप से व्यवस्था दी गयी है, जिससे उत्पादकता के स्तर में वृद्धि के विशेष प्रयास किये जा सकें।

Details of Expenditure, unspent balance & Interest accrued under NFSM during 2013-14

RICE

Fin. (Lakh Rs.)

S.No.	Particulars	Gen.	SC	ST	Total	Remarks
01	02	03	04	05	06	07
01-	Released from GoI	821.86	192.00	25.15	1039.01	Excess amount spent in Gen. & ST category i.e. Rs. 40.03 (26.51+13.52) has been utilized from unspent balance of SC category as per approved plan.
02-	Interest	34.24	0.00	0.00	34.24	
Sub Total		856.10	192.00	25.15	1073.25	
03-	Expenditure	882.61	73.76	38.67	994.04	
Unspent Amount on 01-04-2014		-26.51	118.24	-13.52	79.21	

WHEAT

Fin. (Lakh Rs.)

S.No.	Particulars	Gen.	SC	ST	Total	Remarks
01	02	03	04	05	06	07
04-	Released from GoI	252.17	54.98	0.00	307.15	Excess amount spent in Gen. & ST category i.e. Rs. 89.00 (88.52+0.48) has been utilized from unspent balance of SC category as per approved plan.
05-	Revalidated Amount	193.73	197.64	5.17	396.54	
Sub Total		445.90	252.62	5.17	703.69	
06-	Expenditure	534.42	38.64	5.65	578.71	
Unspent Amount on 01-04-2014		-88.52	213.98	-0.48	124.98	

- 1- Total unspent balance under NFSM as on 01-04-2014 is Rs. 204.19 Lakh.
- 2- Interest accrued under NFSM during 2013-14 is Rs. 35.59 Lakh.

Intervention wise Physical & Financial Progress of NFSM-Rice, March 2014

S. No.	Components/Scheme	Approved rate of assistace	Unit	Total			
				Phy. Tar.		Fin.	
				Tar.	Ach.	Tar.	Ach.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cluster Demonstration						
	(a) Direct seeded rice/ Line transplanting	Rs 7500/ha	ha	2450	3195	183.75	154.03
	(b) SRI rice		ha	740	292	55.50	10.18
	(c) Hybrid rice	Rs 7500/ha	ha	330	310	24.75	17.45
	Sub Total 1			3520	3797	264.00	181.66
2	Seed Distribution						
	(a) Hybrid rice seed	Rs 2000/q	qtl	125	4	3.5	0.1
	(b) HYV seed	Rs 500/q	qtl	11460	1092	57.3	5.53
	Sub Total 2			11585	1096	60.8	5.63
3	Plant and Soil Mgt.						
	(a) Micro nutrients	50% of the cost subject to maximum Rs 500/ha	ha	40500	30356	202.50	67.21
	(b) PP chemical and bio- agents	50% of the cost subject to maximum Rs 500/ha	ha	35450	61375	177.25	98.89
	Sub Total 3			75950	91731	379.75	166.10
4	Resource Cons. Tech.						
	(a) Knap sack sprayer	50% of the cost subject to maximum Rs 3000/machine	No.	1700	1004	51.00	10.15
	(b) Zero till seed drill	50% of the cost subject to maximum Rs 15000/machine	No.	540	168	66.00	25.20
	(c) Multi crop planters		No.	15	0	2.25	0.00
	(d) Seed drills		No.	50	0	7.50	0.00
	(e) Power weeders		No.	180	52	27.00	7.80
	(f) Ridge furrow planters		No.	25	0	3.75	0.00
	(g) Rotavators		50% of the cost subject to maximum Rs 30000/machine	No.	755	1116	226.50
	(h) Laser land levellers	No.		53	37	79.50	55.50
	Sub Total 4			3318	2377	463.50	433.45

5	Incentive for pump sets	50% of the cost subject to maximum Rs 10000/machine	No.	95	28	9.50	2.80
6	Cropping system based trainings	Rs 3500/ session & Rs 14000/ training	No.	52	50	7.28	5.77
7	PMT and contigency district			0	0	31.80	5.13
8	PMT and contigency State			0	1	13.87	1.00
Sub Total 5 to 8				147	79	62.45	14.70
9	Local Initiatives			0	0	0.00	0.00
	(a) HDPE pipe @ 50% subsidy maximum Rs. 10000.00 or 200 meter whichever is less	50% subsidy maximum Rs. 10000.00 or 200 meter whichever is less		19000	10600	19.00	9.14
	(b) Water Harvesting Structures No/m		No.	121	67	181.50	183.36
Sub Total 9				19121	10667	200.50	192.50
Total Rice Programme						1431.00	994.04

PROGRESS OF NFSM-Wheat March, 2014

S. No.	Components/Schemes	Unit	Total			
			Phy.		Fin.	
			Tar.	Ach.	Tar.	Ach.
1	2	3	4	5	6	7
1	Cluster Demonstration of wheat @ 5000/ha	ha	4100	3655.40	205.00	106.40
2	Distribution of certified seed of improved varieties	q	1020 0	4607.45	51.00	23.52
3	Need based plant/soil management		0	0.00	0.00	0.00
	a- Distribution of micronutrient	ha	2066 6	27466.67	103.33	51.44
	b- Gypsum	ha	1466 6	6.00	73.33	0.03
	c- Plant protection chemicals and bio-agents	ha	1766 8	63265.66	88.34	93.58
	Sub Total 3 (a+b+c)			5300 0	90738.33	265.00
4	Knap sack sprayer	No.	1350	889	40.50	9.50
5	Zero till seed drill	No.	140	229	21.00	34.35
6	Rotavators	No.	365	537	109.50	161.10
7	Laser Land levellers	No.	14	17	21.00	25.50
8	Pump Sets	No.	435	99	43.50	9.79
	(b) Sprinkler set Rs. 7500.00 per ha.	No.	35	0	2.625	0.00
	Sub Total 4 to 8 (b)			2339	1771	238.13
9	Cropping system based training (4 sessions of group of 30 farmers)	No.	66	67	9.24	7.55
10	PMT and Misc. expenditure - District level		0	0	51.04	5.44
11	PMT and Misc. expenditure -State level		0	0	13.87	1.00
12	Water Harvesting Structures		70	18.00	104.97	49.49
Total of Wheat Component					938.25	578.70

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-व्यय के मानक		
क्र० सं०	कार्य मद	व्यय के मानक
1	क्लस्टर डिमान्स्ट्रेशन (चावल)	
	सीधी बुआई- चावल/ लाइन ट्रान्सप्लांटिंग, एस०आर०आई०, हाइब्रिड-राइस	रु० 7500.00 प्रति है०
	(ग) क्लस्टर डिमान्स्ट्रेशन गेहू	रु० 5000.00 प्रति है०
2	बीज वितरण	
	(क) हाइब्रिड-राइस बीज	रु० 2000.00 प्रति कुंतल
	(ख) अधिक उपजदायी प्रजाति बीज गेहू/ चावल	रु० 500.00 प्रति कुंतल
3	पौध एवं मृदा प्रबन्धन	
	सूक्ष्म तत्व वितरण एवं कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 500.00 प्रति हैक्टेयर
4	यंत्र वितरण	
	नैपसैक स्प्रेयर, रोटोवेटर	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 3000.00 तक
	जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्टी क्राप प्लान्टर, सीड ड्रिल, पावर वीडर्स एवं रिज फरो प्लान्टर्स	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 15000.00 तक
	(झ) लेजर लैण्ड लवलर	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 150000.00 तक
5	जल पंप पर प्रोत्साहन	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 10000.00 तक
6	स्प्रिंकलर सेट वितरण	रु० 7500.00 प्रति है०
7	क्रापींग सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग	रु० 3500.00 प्रति सत्र एवं रु० 14000.00 प्रति प्रशिक्षण